संपादकीयः

'घातक भवि-यवाणी' हमारा नया विशि-ट ाब्द है जो हमारी असुरक्षा की गलत भावना को परिभाि-त करता है। यह भवि-यवाणी यदि पिछले 100 व-ोंं से नहीं तो पिछले 50 व-ोंं से की जा रही है और इसका नियमित प्रचार किया जाता है। अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, गैर कृ-ि व्यवसायी जिन्होंने कभी खेती नहीं की, समाचारपत्रों में कॉलम लिखने वाले, गैर सरकारी संस्थाऐं, वित्त देने वाली एजेंसियां चाहे वे यूनाईटेड नेशन्स के अंतर्गत आती हैं अथवा निजी एजेंसियां हैं, उन्होंने तो अपना भवि-य संवार लिया है सिर्फ एक ही झूठा नारा देकर कि खाद्य असुरक्षा विद्यमान है।

उन्होंने हम किसानों को संशयवादी साबित कर दिया है, जो हमेशा कहते रहे हैं कि भारत एक सफल रा-ट्र के रूप में असफल सिद्ध होगा, क्योंकि हम किसान अपने देश के लोगों के लिऐ पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाते। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 40 व-ोंं में से अधिकतम समय तक हम एक ुद्ध अनाज निर्यातक देश बने रहे। अब परिर्वतित वातावरण के घातक परिणामों को हवाला देकर कम अनाज का दोबारा भय उत्पन्न किया जा रहा है। यह सच है कि जलवायु परिवर्तन का वास्तव में प्रभाव है। लेकिन इसके लिऐ संभावित नीतियां भी बनाई जा सकती हैं और नई–नई खोजों से आशा कि किरण दिखाई जा सकती है। निःसंदेह हमारे यहां अनाज की समस्या है लेकिन इतनी नहीं जितनी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जा रही है।

दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम 2017 के एक सत्र में मैंने भाग लिया था जिसमें चीन के रा-ट्रपति श्री जी. जिंनपिंग ने कहा था 'जब कोई तूफान का सामना करे तो उसे डर कर मैदान नहीं छोड़ना चाहिऐ, ऐसा करने से हमें समुद्र में कोई किनारा नहीं मिलेगा'। हमें भी मछली पकड़ने वालों की तरह बनना चाहिऐ कि वे किसी भी तूफान का सामना करने के लिऐ तैयार रहते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। हम भी, जिन लोगों का गलत विश्वास है उनके भय को आशा में बदल सकते हैं। तैयार की जाने वाली नीति में किसानों की समृद्धि और कृ-ि उत्पादन की भिन्नता का वर्णन किया गया है। यदि भारत खाद्य असुरक्षा की समस्या को जान लेता है तो सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिऐ आर्थिक सहायता देती है जैसे उर्वरक पर आर्थिक सहायता का लाभ। उसी प्रकार यदि हम किसानों की असुरक्षा की समस्या को जान लेते हैं तो हम उन्हें मूल रूप में नकद ट्रांसफर करके लाभ देने की सोचते हैं।

कई संभावनाओं में से केवल 2 संभावनाओं पर ही विचार करेंः मांस उपभोग के लिऐ केवल भूमि का केवल 30–40 प्रतिशत भाग, जबकि अनाज उत्पादन के लिऐ 60 प्रतिशत भूमि और पानी का उपयोग किया जाता है जिससे हमें केवल 40–50 प्रतिशत हरी फसलें या अनाज ही मिल पाता है। आने वाले 10 व-ोंं में हमारी मेज पर कृत्रिम मांस होगा। पौधों के रस (एक्सट्रेक्ट) से बनाया जाने वाला कथित मीट न केवल मांस जैसा स्वादि-ट होता है बल्कि उसमें मांस जैसी मौजूद विशे-ताऐं

भी होती हैं। इस एक कार्य को अपनाने से ही हमारी कृ-ि योग्य भूमि और जल संसाधनों का 15-20 प्रतिशत भाग बच जाऐगा। दूसरे, हमारे कुल उत्पादित अनाज का अनुमानतः 30 प्रतिशत भाग खराब हो जाता है। इसमें भी 10 प्रतिशत की कमी आऐगी और अन्य कार्यों में लिऐ हमें 8 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो सकती है। मनु-यों के लिऐ रहने वाले रिहायशी ईलाके के स्थान पर जंगल या वन के लिऐ स्थान उपलब्ध कराकर हम अपनी जैव विविधता को बढ़ा सकते हैं, अथवा इस भूमि का अन्य जिंसों के उत्पादन/जुताई के लिऐ उपयोग कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति को बनाऐ रखने का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है बल्कि किसानों की खुशहाली का मुद्दा प्रमुख मुद्दा है। आहार एक स्थाई मुद्दा है जो हमारी सांस्कृतिक आदतों के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन भूमि की अनाज उगाने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है।

बजट 2017-18 के लिऐ कृ-ि एजेंडा

श्री सुरेन्द्र सूद - वरि-ठ कृ-ि पत्रकार जो बिजनेस स्टेंडर्ड में परार्मशी संपादक के पद पर कार्यरत हैं

बिना मौलिक सुधार किऐ कृ-ि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना असंभव है, यह कथन सरकार के नीति निर्माताओं द्वारा हाल ही में कहा गया, ये लोग भारतीय रा-ट्रीय सुधार संस्था आयोग (नीति आयोग) से संबंधित हैं और आगामी केन्द्रीय बजट 2017-18 के लिऐ सरकारी कृ-ि एजेंडे की प्रमुख नीतियां तैयार करते हैं।

इस कथन में आगे कहा गया है कि राज्य सरकारें इन अतिआवश्यक सुधारों को लागू करने में सुस्त रही हैं जिस कारण किसानों की फसल उत्पादकता बढ़ाने और उनकी उच्च आय प्राप्त करने की सरकारी नीति को लागू करने में और कारगर कृ-ि विपण वातावरण देने में असफल रहे हैं। अतः आयोग ने केन्द्र को स्प-ट संकेत दे दिया है कि वह राज्यों को बल देकर कहे की व्यापक कृ-ि सुधार लागू करने के लिऐ वे अपने मतभेद दूर करें। केन्द्र सरकार द्वारा बजट के माध्यम से राज्यों को बढ़ी मात्रा में फंड दिया जाता है, जिसका उपयोग इन सुधारों को लागू करने में किया जाना चाहिऐ।

व-र्ा 1991 से आरंभ आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कृ-ि क्षेत्र के लिऐ न तो उपयोगी सिद्ध हुई न ही किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल पाऐ, इस प्रकार यह क्षेत्र अपनी वास्तविक क्षमता के अनुसार उन्नति नहीं कर पाया। जिन क्षेत्रों में कुछ सुधार आरंभ किऐ गऐ थे वे भी गति नहीं पकड पाऐ क्योंकि राज्यों ने अधूरे मन से इन सुधारों को लागू किया जैसे कृ-ि विपणन, संस्थागत ऋण और फसल बीमा आदि के क्षेत्र हैं।

इसके परिणामस्वरूप उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने तो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि, अर्थात 7 प्रतिशत से अधिक, दर्ज की, जबकि दीर्घ कालिक कृ-ि वृद्धि केवल 3 प्रतिशत तक ही रही। इस कृ-ि क्षेत्र ने भी लगातार 10 व-र्ा की अवधि में तेजी से वृद्धि दर्ज की थी वह समय था 1980 का दशक।

अतः यह आश्चर्य की बात है कि कृ-ि और इसके संबंधित क्षेत्र का कारोबार धीरे-धीरे कम होकर सकल घरेलू उत्पाद में केवल 14 प्रतिशत ही रह गया। इस कारण कृ-ि क्षेत्र में नऐ सुधारों को लागू करने की अनिवार्यता है ताकि कृ-ि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने

के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। नीति आयोग ने 3 क्षेत्रों को चुना है जिनमें व-र्ा 2017-18 के बजट में इनमें तत्काल सुधार किया जा सकता हैः

- कृ-ि विपणन
- पट्टे पर भूमि देना
- कृ-ि वन उत्पाद जिसमें निजी भूमि पर लगाऐ गऐ पेड़ों को गिराना और इनकी ब्रिकी करना ृामिल है

हालांकि इन क्षेत्रों का चयन सावधानी से किया गया है जिसके लिऐ अति आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय कृ-ि की चुनौतियों का सामना करने के लिऐ केवल इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में इस क्षेत्र को ऐसे कौन से व्यापक सुधार अपनाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय कृ-ि आधुनिक और कुशल बन सके।

पिछले व-र्ा के केन्द्रीय बजट में सरकार ने लगातार पड़े 2 सूखों के कारण प्रभावित ग्रामीण अर्थवयवस्था को सुधारने पर बल दिया था। इसके लिऐ सरकार ने कई योजनाएँ बनाकर आबंटन में वृद्धि की थी जैसे कृ-ि विकास योजना, महात्मा गांधी रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कृ-ि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि ृामिल थी।

आशा की जाती है कि अगले व-र्ा के बजट में भी इन कार्यक्रमों पर जोर दिया जाऐगा और सरकार की निर्धनों के अनुकूल और किसानों के अनुकूल छवि बनाने में सहायता मिलेगी। इस व-र्ा अच्छे मॉनसून के कारण सरकार कृ-ि और गैर-कृ-ि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक आय अर्जित करने के उपायों पर ध्यान केन्द्रीत कर सकती है। इसके लिऐ बजट में कुछ विशे-ा क्षेत्रों को प्रमुखता देनी होगी, जिससे कृ-ि उत्पादकता की लागत, कुशल उपकरणों का उपयोग, लाभकारी मूल्य और कृ-ि तथा गैर कृ-ि कार्यों से आय, कृ-ि उत्पादों का मूल्य संर्वधन करके और इसके साथ ही रोजगार एवम् आय अर्जित करने के अन्य अवसर भी प्रदान किऐ जा सकते हैं।

इसका अर्थ हो सकता है कि भूमि स्वास्थ्य कॉर्ड, सिंचाई कार्यक्रम, कृ-ि बीमा और इलैक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म आधारित रा-ट्रीय कृ-ि बाजार (ई-नैम), इसके अतिरिक्त, नवीनतम तकनीक का उपयोग करने के लिऐ भी प्रेरित किया जाऐ। निःसंदेह इसका उद्देश्य होगा कि इन कार्यक्रमों से समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित हों।

एक महत्वपूर्ण सुधार, जो बहुत पहले व-र्ा 2000 में किया गया था, लेकिन अभी भी कृ-ि विपणन के क्षेत्र में वह लागू नहीं हो पाया। बहुत से किसान अभी भी अपनी उपजों को सस्ती दर पर

बेचने पर मजबूर हैं क्योंकि उचित विपणन सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने व-र् 2003 में सभी राज्यों को एक आदर्श कृ-ि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम का मसौदा भेजा था ताकि वे अपने-अपने आदर्श कृ-ि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में सुधार कर सकें।

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य कृ-ि क्षेत्र को एकाधिकार, अकुशलता, अपारर्दशिता से बचाना और बिचौलियों को समाप्त करने के साथ-साथ विपणन नेटवर्क के विस्तार को प्रोत्साहित करना था। यद्यपि बहुत से राज्यों ने केवल रिकॉर्ड के लिऐ अपने-अपने अधिनियमों में कुछ संशोधन किऐ और कुछ राज्यों ने आदर्श कानून के अनुसार ही अधिनियम में संशोधन किऐ। वास्तविक परिणाम यह है कि किसान अभी भी जिसे चाहे जहां चाहे और मनचाहे मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेच सकता है।

यद्यपि केन्द्र सरकार ने ई-नैम परिचालित कर दिया है ताकि विद्यमान कृ-ि विपणन ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जा सके और देश भर में किसानों को ऐसे बाजार मिल सकें जहां उन्हें उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सके। सच्चाई यह है कि यह एक धीमी शुरूआत है। अच्छे सुधारों को अभी भी आरंभ किया जाना बाकी है, ये सुधार हैं कि किसानों को महत्वपूर्ण मंडियों के साथ जोड़ दिया जाऐ और उन्हें उनके कृ-ि उत्पाद उचित मूल्य पर बेचने दिऐ जाऐं।

बहुत से कृ-ि प्रधान राज्य अभी भी इस पहल में भाग नहीं ले रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि विनिमय आधारित विपणन लागू करने में राज्य सुस्त हैं क्योंकि इनसे कृ-ि उत्पाद विपणन समिति की मंडियों से उनका एकाधिकार समाप्त हो जाऐगा और कृ-ि उत्पादों की बिक्री से और इन मंडियों से प्राप्त होने वाले करों और शुल्कों में अत्यधिक कमी आऐगी जिस कारण राज्यों के खजाने पर वास्तविक बोझ बढेगा।

सौभाग्यवश अब नीति आयोग ने इस मुद्दे के समाधान के लिऐ एक नया आदर्श कृ-ि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम तैयार किया है जो राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा। इसके अतिरिक्त, आशा है कि यह निजी मंडियों को स्थापित करने, ठेके पर कृ-ि कानूनी रूप से लागू करने और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा व्यापार करने की सुविधा भी प्रदान करेगा ताकि बिचौलियों को या तो समाप्त कर दिया जाऐ अथवा उनकी संख्या कम कर दी जाऐ। आशा है कि राज्य इस बात से सहमत होकर किसानों और उपभोक्ताओं के हित में कृ-ि विपणन को बेहतर बनाऐंगे। इस दिशा में बजट उत्साहवर्धक कार्य कर सकता है।

किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिऐ और उत्पादन बढ़ाने तथा उनकी आय में व्यापक वृद्धि करना एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता

है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने और खरीद आधारित विपण हस्तक्षेप के माध्यम से लागू करने की वर्तमान पद्धति केवल सीमित उद्देश्यों की ही पूर्ति कर पा रही है।

हालांकि सरकार 20 फसलों से भी अधिक फसलों के न्यनूतम समर्थन मूल्य घोि-त करती है लेकिन किसानों को केवल गेहूं, चावल और कुछ हद तक कपास और गन्ने की फसलों पर ही यह लाभ मिल पाता है और वह भी कुछ राज्यों के किसानों को। यह सत्य है कि सरकार देश के सभी भागों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिंसों की वास्तविक खरीद नहीं कर सकती। लेकिन कुछ सरकारें अपने निजी कारणों से अथवा निजी हित में इस प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य उपायों को अपनाने से बचती रही हैं।

नीति आयोग ने एक व्यापक पद्धति तैयार की है ताकि किसानों को कम से कम उचित मूल्य तो मिले, चाहे लाभकारी मूल्य न मिले। यह पद्धति है मूल्य कमी का भुगतान, इसके अंतर्गत यदि फसलों का भाव पहले से निर्धारित मूल्य से नीचे जाता है तो किसानों को अनिवार्य रूप से इसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाऐगी। यह प्रतिपूर्ति की दर उन बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाऐगी जो पहले के 3 या 4 व-ोंं के दौरान फसल का मूल्य रहा हो।

इस पद्धति से सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वास्तविक खरीद के बोझ से तो छुटकारा मिलेगा ही और महंगी दर पर गोदामों में रखने से भी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री इस नई पद्धति के गुण और अवगुणों पर विचार करेंगे और सबसे पहले कुछ चुने हुऐ जिलों में इसकी शुरूआत करेंगे।

भूमि संबंधी मुद्दों के बारे में सबसे अधिक आवश्यकता उस भूमि को व्यवहारिक बनाने की है, जिस पर अभी खेती नहीं हो रही, अन्यथा किसान फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिऐ न तो पैसा खर्च करेंगे न ही नऐ और उन्नत बीजों, अच्छी पौधशाला की फसल और पौध संरक्षण उपायों को अपनाऐंगे, अथवा मिनी और सूक्ष्म सिंचाई की विधि से भी दूर रहेंगे। कई व-ोंं से कृि- योग्य भूमि कम होती जा रही है और छोटे-छोटे टुकडों में बंट चुकी है जिस कारण किसानों को अपने परिवार का भरणपो-ण करने के लिऐ कहीं और कार्य करना पडता है।

वर्तमान भूमि पट्टा कानून तब बनाया गया था जब स्वतंत्रता मिली थी और उस समय जमींदारी उन्मूलन तथा वास्तविक खेती करने वालों को भूमि का पुनःवितरण किया गया था जिस कारण अब लोग पट्टे पर भूमि देने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, यह सोचकर कि उनके हाथ से उनकी जमीन निकल जाऐगी। इसका परिणाम यह है कि कुछ उपजाऊ भूमि खाली पड़ी रह जाती है और इस पर खेती नहीं हो पा रही है।

पट्टे पर भूमि देने को वैध बनाना और सुरक्षित करने जैसे भूमि सुधार कानून बनाने से खाली पड़ी उपजाऊ भूमि पर खेती करके अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। ऐसा करने से किराऐ पर खेती करने वाले लोगों को ऋण और अन्य सुविधाऐं तथा सरकारी सहायता भी मिल पाऐगी। निःसंदेह कुछ राज्य पट्टे पर भूमि देने का कानून बनाकर इस भूमि का उपयोग करने पर सहमत हैं। इस दिशा में भारत सरकार राज्यों पर कुछ दबाव बनाकर और प्रोत्साहन देकर विशे-ा उपलब्धि हासिल कर सकती है।

किसी न किसी रूप में कृ-ि वन उत्पाद एक नकारात्मक क्षेत्र रहा है, जबकि इस क्षेत्र से किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। अधिकांश राज्यों में वन उत्पाद पर वैसे ही कानून लागू हैं जो वनों/जंगलों पर लागू होते हैं जिस कारण कृ-ि वन उत्पाद के अंतर्गत पेड़ों को गिराने, आवागमन और इनके प्रस्ंसाधन पर कई रोक लगी हुई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में लकड़ी लाने और ले जाने पर भी रोक है चाहे यह लकड़ी कृ-ि भूमि पर ही क्यों न उगाई गई हो, इस कारण से किसानों को ऐसी लकड़ी बेचकर कोई लाभ कमाने की अनुमति नहीं है। इन कानूनों को बदलने की आवश्यकता है और कृ-ि से संबंधित कार्यों के अंतर्गत ही कृ-ि वन को लाने की आवश्यकता है।

आज देश का कृ-ि क्षेत्र एक कडी चुनौती का सामना कर रहा है और इसका समाधान व-र्ा 2017-18 के बजट में होना चाहिऐ - यह है कृ-ि उत्पादकता बढ़ाना। भारत में केवल गेहूं और कुछ अन्यों फसलों को छोड़कर फसल की औसत उत्पादकता कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में फसल उत्पादकता अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न है, जैसे कई कृ-ि में पिछड़े राज्यों में प्रगतिशील पंजाब, हरियाणा और कुछ दक्षिणी राज्यों की तुलना में फसल उत्पादकता बहुत कम है।

इस दूरी को मिटाने का सबसे सरल उपाय है कि संपूर्ण कृ-ि उत्पादन बढाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। इसके लिऐ उन्नत तकनीक अपनाने की आवश्यकता है और हमारे देश में पहले से विद्यमान और कृ-ि में पिछड़े कई राज्यों में किसानों ने इसका उपयोग करके लाभ प्राप्त किया है। कृ-ि उत्पादकता बढाने का मूल मंत्र है कि उन्नत फसलों की किस्मों को लोकप्रिय बनाया जाऐ तथा उन्नत बीजों, उर्वरकों, पानी और कीटनाशकों का अधिक कारगर ढंग से उपयोग किया जाऐ।

किसानों का लाभ बढ़ाने और उत्पादकता बढाने के अन्य उपायों में ृाामिल है कि जहां भी हो सके महंगी कृ-ि फसलों की पैदावार की जाऐ, डेरी, मुर्गीपालन, सूअर पालन, मधुमक्खी पालन और मच्छली पालन जैसे पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाऐ तथा वास्तविक खेती का विस्तार और

अधिकांश क्षेत्रों में कृ-ि तकनीक का संरक्षण, नई तकनीक की और तेजी से प्रेरित करने का अभियान जिसमें आशोधित बीजों का उपयोग अनिवार्य हो।

इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिऐ बजट में निम्नलिखित उपयुक्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है:

- कृ-ि निर्यात को प्रोत्साहित किया जाऐ जिसके लिऐ किसानों को अंतर्रा-ट्रीय बाजार के साथ लिंक करने के लिऐ एक स्थाई ुल्क ढांचा निर्धारित किया जाऐ।
- मशीनों का उपयोग बढ़ाना अतिआवश्यक है ताकि कृ-ि कार्यों में विशे-ता पाई जा सके और समय की भी बचत हो, लागत में कमी तथा कृ-ि उत्पादकता बढ़ाना। बजट में अधिक सरकारी धन जारी किया जाऐ और साथ-साथ उपयोगी कृ-ि मशीनों पर आर्थिक सहायता भी दी जाऐ, आयात ुल्क में परिवर्तन किया जाऐ ताकि किसान भी देसी और विदेशी कृ-ि मशीनरी का समुचित उपयोग कर सके।
- देश के विभिन्न भागों में कृ-ि मजदूरों की बढ़ती मजदूरी और उनकी कमी का समाधान केवल कृ-ि के अधिकतम मशीनीकरण के द्वारा किया जा सकता है। विशे-कर उन क्षेत्रों में जहां गहन कृ-ि प्रचलन में है।
- विशे-ा प्रकार की कृ-ि के लिऐ अपेक्षित मशीनों की अत्यधिक आवश्यकता है, जैसे की लेजर से भूमि को समतल करना और कृ-ि तकनीक का संरक्षण जैसे न्यूनतम जुताई, अलग-अलग तह में पौधे लगाना और कम भूमि पर अधिकतम चावल उगाने की पद्धति अपनाना।
- कृ-ि कार्यों की दक्षता बढाने के लिऐ मशीनों का अधिकतम उपयोग किया जाऐ और कृ-ि क्षेत्र से युवाओं के उदासीकरण को कम किया जाऐ क्योंकि धीरे-धीरे कृ-ि उद्योग सिकुड़ता जा रहा है।

निःसंदेह भारतीय कृ-ि को अनुसंधान और विकास समर्थन से अत्यधिक लाभ मिल सकता है, विशे-कर स्थानीय कृ-ि अनुसंधान केन्द्रों से जिन्हें विशे-ा परिस्थितियों की तकनीक की आवश्यकता के अनुसार खोला जा सकता है। किंतु खेद है कि देश का विशाल कृ-ि अनुसंधान और शिक्षा तंत्र, जिसे विश्व में सबसे व्यापक माना जाता है, में न तो आवश्यक सुधार लागू किऐ गऐ हैं, न ही सरकार की ओर से पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाता है।

कृ-ि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निजी निवेश भी नगण्य है। इसके परिणामस्वरूप रा-ट्रीय कृ-ि अनुसंधान और शिक्षा पद्धति में कई कमियां आ चुकी हैं जिनमें से उल्लेखनीय है स्टॉफ की कमी, लिंग असमानता, अतार्किक शिक्षा पाठ्यक्रम और संस्थाओं में पढ़ने वाले कृ-ि छात्रों को

अपने-अपने संस्थाओं में ही रख लेना। जिस कारण वे आगे कोई अनुसंधान नहीं कर पाते, न ही अपने ज्ञान का प्रसार कर पाते हैं।

अंतर्रा-ट्रीय आहार नीती अनुसंधान संस्था के 'कृ-ि विज्ञान और तकनीकी संकेतक कार्यक्रम' (ए. एस.टी.आई.) के अंतर्गत एकत्रित आंकड़ों से यह स्प-ट है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कृ-ि अनुसंधान और शिक्षा में समग्र निवेश कृ-ि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत के मामूली लक्ष्य से भी बहुत कम है, जिसका वास्तविक आंकड़ा कृ-ि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.3 प्रतिशत है।

इससे भी बद्तर यह है कि इस निवेश को बढ़ाने के स्थान पर धीरे-धीरे कम कर दिया गया है - व-र् 2000 में 0.34 प्रतिशत को व-र् 2009 में कम करके 0.32 और व-र् 2014 में केवल 0.3 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुल उपलब्ध निधि (73 प्रतिशत) में से अधिकांश भाग वेतन के भुगतान में जाता है और अनुसंधान और शिक्षा देने के कार्यों के लिऐ नाम-मात्र ही बच पाता है। 1 लाख किसानों पर कृ-ि वैज्ञानिकों की संख्या व-र् 2000 में 5.52 थी जो 2014 में कम होकर 4.62 हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश कृ-ि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा और पाठ्यक्रम भी उपयुक्त नहीं है। यद्यपि कृ-ि स्नातकों को रोजगार के आधे से अधिक अवसर निजी क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे बैंक और कृ-ि उपकरण बनाने वाले उद्योगों में, इसी कारण अधिकतम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का लक्ष्य तो निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने का होता है।

अतः न केवल अनुसंधान और विकास क्षेत्र को आर्थिक सहायता की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है बल्कि अनुसंधान और शिक्षा केन्द्रों में लाभकारी सुधार भी आरंभ करने की आवश्यकता है। आगामी बजट में इस दिशा में ुरूआत की जा सकती है और करनी भी चाहिऐ। अनुसंधान और विकास में निवेश करने के पर्याप्त लाभ मिलते हैं, जितना अधिक इस क्षेत्र में निवेश करेंगे उतना अधिक लाभ किसानों को होगा।

कृ-ि विस्तार एक अन्य कमजोर क्षेत्र है जिसपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कृ-ि विकास में यह सबसे बडी बाधा मानी गई है। देश के अधिकांश राज्यों में मशीनरी का विस्तार नगण्य है और कर्मचारियों तथा निधियों की कमी के कारण यह दयनीय स्थिति में है। सामानयतः एक विस्तार कार्मिक के पास इतना बढ़ा क्षेत्र होता है कि वह अपनी नौकरी के साथ न्याय नहीं कर पाता। अधिकांश विस्तार कर्मचारी नवीनतम तकनीकी से अछूते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अनुसंधान केन्द्रों के साथ वार्तालाप अथवा मिलने के अवसर ही नहीं मिलते।

राज्यों सरकारों को भी अपनी–अपनी विस्तार कार्य प्रणालियों और संस्थाओं के पुनर्उत्थान के लिऐ पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है। कृ-ि क्षेत्र में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम और उपाय होगा यदि कृ-ि विस्तार के कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाऐ। आगामी बजट में जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता तब तक कृ-ि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों द्वारा खोजी जा रही आधुनिक तकनीक या खोज देश के किसानों तक नहीं पहुंच सकती।